



भारत की नो-फ्लाई लिस्ट

प्रीलिमिस के लिये:

नो-फ्लाई लिस्ट

मेन्स के लिये:

नो-फ्लाई लिस्ट में प्रतबंधित व्यवहार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्टॉड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को इंडिगो एयरलाइंस द्वारा नो-फ्लाई लिस्ट में कर तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतबंधित कर दिया गया है।

हालया संदर्भ

- कुमार कामरा पर यह प्रतबंध इंडिगो (IndiGo) एयरलाइंस में उड़ान के दौरान समाचार चैनल रपिब्लिकी टीवी के संपादक तथा ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के गवर्नन्स बोर्ड के अध्यक्ष, अरनब गोस्वामी का मजाक बनाने के कारण लगाया गया है।
- इंडिगो एयरलाइंस के साथ-साथ स्पेशल एयर इंडिया (Air India) और गो एयर (GoAir) द्वारा भी उन पर प्रतबंध लगाया गया गया है।

नो-फ्लाई लिस्ट क्या है?

- भारतीय संदर्भ में नो-फ्लाई लिस्ट उन यात्रियों के मामले में जारी की जाती है जो हवाई यात्रा के दौरान अपने शारीरिक, मौखिक या फरि कर्सी भी आपत्तजिनक व्यवहार के माध्यम से यात्रा में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- इस लिस्ट का संकलन और रखरखाव नागरिक उड़ान विभाग (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) द्वारा एयरलाइंस द्वारा दिये गए विवरण के आधार पर किया जाता है।

नो-फ्लाई लिस्ट (No-Fly List) के अंतर्गत प्रतबंधित व्यवहार:

किसी भी व्यक्ति के अन्यिंतरति व्यवहार को इस लिस्ट के अनुसार तीन शरणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- पहली शरणी में मौखिक व्यवहार को शामिल किया जाता है अरथात् यदि कोई व्यक्ति हवाई यात्रा के दौरान आपत्तजिनक टपिपणी या शब्दों का प्रयोग करता है तो उसे तीन माह के लिये हवाई यात्रा से प्रतबंधित किया जा सकता है।
- दूसरी शरणी में शारीरिक व्यवहार को शामिल किया जाता है यानी किसी के साथ मारपीट करना, धक्का देना या फरि गलत इरादे से किसी को छुना इत्यादि। इस व्यवहार के लिये यात्री को छह महीने तक हवाई यात्रा से बंचति किया जा सकता है।
- तीसरी शरणी में किसी को जान से मरने की धमकी देने को शामिल किया गया है और इस व्यवहार के लिये कम-से-कम दो साल का प्रतबंध आरोपित किया जा सकता है।

नो-फ्लाई लिस्ट के नियम:

वर्ष 2017 में सरकार ने हवाई यात्रा के दौरान बघिटनकारी या अमान्य व्यवहार को रोकने के लिये नो-फ्लाई सूची हेतु देश-निरिदेश जारी किये। इन देश-निरिदेशों के अनुसार,

- हवाई यात्रा के दौरान अन्यिंतरति व्यवहार की शक्तियां पायलट-इन-कमांड द्वारा दर्ज की जाएंगी तथा इसकी जाँच एयरलाइंस द्वारा गठित आंतरिक समिति द्वारा की जाएंगी।

- समति 30 दिनों के भीतर मामले का नपिटारा करेगी और प्रतबिंध की अवधि भी नियमित करेगी।
- नियमों के अनुसार, जाँच अवधि के दौरान भी एयरलाइन को संबंधित यात्री की हवाई यात्रा पर प्रतबिंध लगाने का अधिकार है।
- एयरलाइन द्वारा प्रतबिंधित व्यक्तियों को आदेश जारी करने की तथिसे 60 दिनों के भीतर अपना पक्ष रख सकता है।

आंतरकि समति की संरचना:

- आंतरकि समति में अध्यक्ष के रूप एक सेवानियत ज़िला और सतर न्यायाधीश को शामलि किया जाता है।
- इसके अलावा एक प्रतनिधि को अन्य अनुसूचित एयरलाइन से शामलि किया जाता है।
- एक सदस्य यात्री संघ या उपभोक्ता संघ के प्रतनिधि के रूप में होता है।
- आंतरकि समति 30 दिनों में अपना नियम, लिखित रूप में प्रस्तुत करती है और संबंधित एयरलाइन के लिये यह नियम बाध्यकारी होता है।
- यदि समति 30 दिनों के भीतर किसी नियम पर नहीं पहुँचती है, तो प्रतबिंधित व्यक्ति हवाई यात्रा करने के लिये स्वतंत्र होगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtilas.com/hindi/printpdf/india-no-fly-list>